भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1707 #
दिनांक 03.08.2026 को उत्तर देने के लिए

उत्तराखंड में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना

1707 # डा. कल्पना सैनी

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा तथा पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन संरचना क्या है;
(ख) राज्य में अब तक इस योजना के अंतर्गत पात्र कंपनियों/ इकाइयों की संख्या कितनी है तथा उनकी संयुक्त पुनर्चक्रण क्षमता, प्रस्तावित निवेश और स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) राज्य में इस योजना के अंतर्गत आवेदन, अनुमोदन, प्रोत्साहनों के वितरण और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) से (ग): राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत, ई-अपशिष्ट, प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियों जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनःप्राप्ति के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2025 को 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम शुरू की गई थी। यह आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने और महत्वपूर्ण खनिजों में आयात निर्भरता को कम करने का प्रयास करती है। यह स्कीम उत्तराखंड राज्य सहित पूरे देश में लागू है। इस स्कीम के वित्तीय प्रोत्साहनों में उत्पादन शुरू होने पर संयंत्र और मशीनरी,

उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं पर पूंजीगत व्यय सब्सिडी तथा विशिष्ट वृद्धिशील बिक्री सीमा की उपलब्धि से संबंधित प्रचालन व्यय सब्सिडी शामिल है।

इस स्कीम के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 01.04.2026 थी। पात्र पाई गई 58 पुनर्चक्रण इकाइयों में से 3 उत्तराखंड राज्य से हैं जिनकी प्रति वर्ष प्रतिभूत क्षमता लगभग 180 किलो टन है और प्रतिभूत निवेश लगभग 330 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के तहत वित्तीय प्रोत्साहन वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत से संबंधित है।
